कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-जबलपुर

धारा-11 की अधिसूचना

क्रमांक 63/भू-अर्जन.ई.1/प्र.क्र. 03/अ-82/2016-17, जबलपुर दिनांक 19/7/2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) में उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र.2 बरगी हिल्स, जबलपुर की खजूरी वितरण नहर शाखा निर्माण हेतु ग्राम बिलखरवा तहसील पाटन व जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः अधिनियम की धारा-4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

भूमि का वर्णन			क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे.)	धारा (12) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	पाटन	ग्राम बिलखरवा प.ह.नं. 16 नं.ब.300 तहसील पाटन जिला जबलपुर	0.39 हेक्टे.	भू-अर्जन अधिकारी रा.अ.बा.लो.सा.इकाई क्र.1 बरगी हिल्स, जबलपुर	खजूरी वितरण नहर निर्माण हेतु

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र.1 बरगी हिल्स, जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र.2 बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(आनंद कोपरिहा)
भू-अर्जन अधिकारी
रा.अ.बा.लो.सा.इकाई क्र.1
बरगी हिल्स, जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश
शासन राजस्व विभाग

63/रि ।।2।। 19/7/

पृष्ठा.क्र......./भू–अर्जन.ई.1/प्र.क्र.03/अ–82/2016–17, जबलपुर दिनांक......./2017

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो प्रतियों में)
2. संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री/मुख्य अभियंता रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी हिल्स, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ। (तीन प्रतियों में)
4. तहसीलदार तहसील पाटन जिला जबलपुर में सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम में सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कराकर प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, जबलपुर एन.आई.सी. कक्ष क्र. 84 शासकीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय कलेक्टर/जिला पंचायत जबलपुर में सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील पाटन के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
8. सरपंच ग्राम पंचायत बिलखरवा की ओर सूचनार्थ आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें।

(आनंद कोपरिहा)
भू–अर्जन अधिकारी
रा.अ.बा.लो.सा.इकाई क्र.1
बरगी हिल्स, जबलपुर

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश
शासन राजस्व विभाग